उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

फोन / फैक्स नं0 : 0522–4150377
वेबसाइट http://www.upsha.in

पत्रांक: 3115 / प्रावि0–18(4A) / 2014–15 / उपशा / लखनऊ दिनांक: 03/03/2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण, अनुभाग–11,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय–वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग के किमी0 5.050 से किमी0 10.050 तक के भाग के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः शासनादेश सं0–852 / 23–1–2012–98सा0 / 2011 दि0 27 जुलाई, 2012 **(छायाप्रति संलग्न)**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का उच्चीकरण सार्वजनिक–निजी–सहभागिता पद्धति पर उक्त शासनादेश के क्रम में अनुबन्धित कंसेशनेयर द्वारा किया जा रहा है। उक्त शासनादेश के स्तम्भ–3 में वर्णित अदलहाट बाईपास के अन्तर्गत वाले वर्तमान भाग (किमी0 5.050 से किमी0 10.050) को उच्चीकरण हेतु नहीं लिया गया था। अदलहाट कस्बे की घनी आबादी एवं अतिक्रमण के दृष्टिगत अदलहाट कस्बे का बाईपास बनाने का प्रावधान अनुबन्ध में था। बाईपास के भूमि अधिग्रहण में किसानों के विरोध के कारण जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा असमर्थता बतायी गयी है एवं मार्ग के वर्तमान भाग पर अतिक्रमण हटवाकर मार्ग के वर्तमान 2–लेन से 4–लेन स्तर तक चौड़ीकरण हेतु वॉछित भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान सीधे भाग का उच्चीकरण किया जाना है।

इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि मार्ग का वर्तमान भाग किमी0 5.050 से किमी0 10.050 तक को चौड़ीकरण करने हेतु हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिससे कंसेशनेयर को अवगत कराते हुए सम्बन्धित परिकल्पना का कार्य कराया जा सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
आई.ए.एस.
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(4960)

05/3/14

Vinod 4:10 Pm

संख्या- 406ई / 23-11-2014

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
गोमती नगर, लखनऊ।
2-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2014

लोक निर्माण अनुभाग-11

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) लखनऊ के पत्र संख्या-1125 / प्रा0वि0-37 / 2012-13 / उपशा / लखनऊ, दिनांक 25-10-2013 के द्वारा प्रदेश में राज्य राजमार्गों, बाईपास एवं अन्य मुख्य मार्गों को सार्वजनिक-निजी सहभागिता से विकसित करने हेतु "उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम" पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत 86 मार्गो (सूची संलग्न है) को उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा सुनियोजित रूप से विकसित करने के लिए "उ0प्र0 राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम" लागू करने का निर्णय लिया गया है।

3- सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से विकसित किये जाने वाले मार्गो पर उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से निजी विकासकर्ता द्वारा कार्य प्रारम्भ होने तक उनका अनुरक्षण / मरम्मत लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में यथोचित व्यवस्था बनाने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

4- (1) उक्त कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कुल 86 मार्गो के कार्य सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत उपशा द्वारा सम्पादित किये जायेगें, जिसमें राज्य राजमार्ग, बाईपास एवं अन्य मुख्य मार्ग सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के 58 मार्गों का चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पॉच चरणों में कियान्वित किया जायेगा तथा राज्य के प्रमुख शहरों में 28 बाईपास का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु चयनित 58 विभागीय मार्गो में से 20 मार्गों को 04 लेन कैरिजवे तथा 38 मार्गों को 02 लेन विद पेव्ड शोल्डर कैरिजवे के अनुसार विकसित किया जायेगा।

(3) प्रस्तावित बाईपास का निर्माण यथासम्भव विद्यमान मार्गों का उपयोग करते हुये मुख्यतया ग्रीन फील्ड परियोजना के तहत किया जायेगा।

5- किसी भी परियोजना पर किसी वर्ष विशेष में कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लोक निर्माण विभाग की सहमति प्राप्त की जायेगी।

6- उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तो का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं बाईपास निर्माण हेतु ग्रीन फील्ड कार्य में आने वाले भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, यूटीलिटीज जैसे-टेलीफोन के खम्भे, विद्युत के खम्भे, ट्रांसफार्मर, हैण्डपम्प इत्यादि की शिफ्टिंग, वृक्षों का पातन, पुनर्वृक्षारोपण आदि तथा यथा आवश्यकता 20 प्रतिशत तक वी0जी0एफ0 हेतु ससमय लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध प्लान परिव्यय में प्राविधान कराया जायेगा।

(2)(क) प्रश्नगत परियोजना में अवस्थित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी।

(ख) यदि परियोजना में अवस्थित भूमि वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित पायी जाती है, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ-साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ग) इसके अतिरिक्त यदि प्रश्नगत क्षेत्र वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 10 कि0मी0 के अन्तर्गत अवस्थित है, तब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नई दिल्ली से भी अनुमति की आवश्यकता होगी।

(घ) गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ड.) यदि कोई क्षेत्र ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तब वन भूमि, गैरवन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अनुमति की अलग से आवश्यकता है, तदोंपरान्त ही प्रभागीय वनाधिकारी पातन अनुज्ञा जारी कर सकते है।

(3) यदि उक्त हेतु भूमि अधिग्रहीत की जाएगी तो भारत सरकार के नये भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि राजकीय भूमि आदि का मामला आता है तो राजस्व विभाग के तद्विषयक अधिनियम/नियम/शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की आवश्यकता होगी।

(4) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत पी0पी0पी0 गाइड लाइन्स तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जायेगी ।

7- कृपया उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे),
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/23-11-2014-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/न्याय (रिट) अनुभाग-6/गोपन अनुभाग-1/अवस्थापना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार शुक्ला),
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम
(U.P. State Highway Development Programme)

भाग–1

मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

फेज–1

क्रमांक	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	विकास का स्तर
1.	दिल्ली–सहारनपुर–यमुनोत्री मार्ग (एस0एच0–57)	206	4–लेन विद पेव्ड शोल्डर
2.	बरेली–अल्मोड़ा मार्ग (एस0एच0–57)	54	4–लेन विद पेव्ड शोल्डर
3.	वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग(एस0एच0–5ए)	115	4–लेन विद पेव्ड शोल्डर
4.	मेरठ–करनाल मार्ग (एस0एच0–82)	88	4–लेन विद पेव्ड शोल्डर
5.	लखनऊ–हरदोई–शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0–25)	162	4–लेन

फेज–2

क्रमांक	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	विकास का स्तर
1.	अलीगढ़–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80)	39	4–लेन
2.	एटा–शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0–85)	53	4–लेन
3.	ताड़ीघाट–बारा मार्ग (एस0एच0–99)	40	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर
4.	मुजफ्फरनगर–सहारनपुर वाया देवबंद मार्ग (एस0एच0–59)	53	4–लेन विद पेव्ड शोल्डर
5.	बलरामपुर–गोण्डा–जरवल मार्ग (एस0एच0–1ए)	88	2–लेन + 4–लेन
6.	अकबरपुर–जौनपुर मिर्जापुर–दुदधी मार्ग	207	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर + 4 लेन
7	चन्दौसी–बदायूँ–फर्रूखाबाद मार्ग(एस0एच0–43)	164.17	4–लेन
8.	गढ़–मेरठ–बागपत–सोनीपत मार्ग(एस0एच0–14)	90.42	4–लेन

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या–852 / 23–1–2012–98सा0 / 2011
लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई 2012

अधिसूचना

शासनादेश संख्या–425ई / 23–11–10–1 / 4(उपशा) / 2008, दिनांक 14 मई, 2010 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–19, सन् 2004) की धारा–14 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ–1 में उल्लिखित राज्य राजमार्ग, के स्तम्भ–2 में उल्लिखित खण्ड, के स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट विस्तार को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को इस शर्त के साथ सौंपते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मानक विशिष्टियों के अनुरूप उक्त विस्तार का अनुरक्षण करेगा, जब तक कि उक्त प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक निजी भागेदारी रीति के अधीन निजी विकासकर्ता को कथित विस्तार पुनः न सौंप दिया जाये।

अनुसूची

राजमार्ग संख्या	खण्ड	विस्तार (किलोमीटर में)
5ए	वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग	कि0मी0 0.0 से कि0मी0 117.650 (अदलाहट बाईपास हेतु 5.050 से 10.050 तक तथा पुनर्संरेखण हेतु 26.00 से 32.00 तक के भाग को छोड़कर)
82	मेरठ–करनाल मार्ग	कि0मी0 3.6 से कि0मी0 90.425(शामली बाईपास हेतु 61.64 से 69.4 तक के भाग को छोड़कर)

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

Singh-GO-140

संख्या–852(1)/23–1–2012–98सा0/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को हिन्दी एवं अंग्रजी भाषा में उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में प्राथमिकता के आधार पर असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–1 खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रकाशित कर उसकी 25 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त अधिसूचना के प्रकाशनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सरोज कुमार यादव)
उप सचिव।

Singh-GO-141

संख्या-4256/23-11-10-1/4(टी0का0-3)/20[illegible]

प्रेषक,

सुदेश प्रसाद राय,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,

सेतु भवन, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 14 मई, 2010

विषय:- प्रदेश में राज्य राजमार्गों का उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से कराये जाने एवं मार्गों को लोक निर्माण विभाग से उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-प्राधि0-13(L&2)/09-10/उप्रशा/335/लखनऊ, दिनांक 18-02-2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के शासी परिषद द्वारा समय-समय पर चयनित राज्य राजमार्गों को उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से कराये जाने हेतु [illegible] विकासकर्ता के चयन, इन मार्गों को लोक निर्माण विभाग से उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने आदि के सम्बन्ध में है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं:-

(1) [illegible] शासी परिषद द्वारा समय-समय पर चयनित निम्नलिखित राज्य राजमार्गों को उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से कराये जाने हेतु [illegible] विकासकर्ता के चयन के लिए प्रारम्भिक सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

क्रमांक	मार्ग का नाम	राज्य राजमार्ग संख्या	कुल लम्बाई
1	बरेली-अल्मोड़ा-बागेश्वर मार्ग	37	56.030
2	सुल्तानपुर-आजमगढ़-बलिया मार्ग	34	227.156
3	वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग	5A	135.107
4	टाण्डा-जौनपुर-मिर्जापुर-दुद्धी मार्ग	5	207.47
5	बदायूं-बिल्सी-इस्लामनगर-बहजोई-सम्भल-हसनपुर-गजरौला मार्ग	51	209.170
6	दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग	57	206.089
7	पलिया-शाहजहांपुर-हरदोई-लखनऊ मार्ग	25	265.136
8	उतरौला-मनकापुर-नवाबगंज मार्ग	9	61.036
9	मेरठ-करनाल मार्ग	82	87.155
10	गोरखपुर महाराजगंज मार्ग	81	53.160
11	बस्ती, मेंहदावल, कप्तानगंज, तमकुही मार्ग	64	165.810
12	मुरादाबाद-चन्दौसी-बदायूं मार्ग	43	161.175
13	फरेन्दा-नौगढ़-जरवल मार्ग	1A	210.400
14	गढ़-मेरठ-बागपत-सोनीपत मार्ग	14	95.100
15	बुलन्दशहर-स्याना-गढ़ मार्ग	65	94.50

2- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य राजमार्गों को सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से कराये जाने के सम्बन्ध में कन्सेशनायर (विकासकर्ता) [illegible]

-2-

[illegible] योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्वेस्ट फार क्वालीफिकेशन (आर0एफ0क्यू0) एवं रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आर0एफ0पी0) माडल कन्सेशन एग्रीमेन्ट (एम0सी0ए0) के प्रारूपों को अंगीकृत करते हुए विकासकर्ता का चयन किया जाय।

[illegible] परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक की योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य वायबिलिटी गैप फण्डिंग से अधिक धनराशि की वायबिलिटी गैप फण्डिंग का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

[illegible] राज्य राजमार्गों को उच्चीकरण/अनुरक्षण कराये जाने हेतु मार्गों पर आवश्यक यूटिलिटी शिफ्टिंग, टोल प्लाजा, जनसुविधाओं जैसे आबादी भाग में अतिरिक्त सर्विस लेन, नाली, बस शेल्टर, शौचालय इत्यादि के निर्माण एवं बाईपासेस के निर्माण एवं सड़क को चौड़ा करने हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण एवं मार्ग के उच्चीकरण में आने वाले वृक्षों के कटान एवं पुनर्वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

[illegible] राज्य राजमार्गों के उच्चीकरण/अनुरक्षण में जहां वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की आवश्यकता है, वहां वन विभाग की यथाविधि पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

[illegible] उपर्युक्त प्रस्तर-2(I) में उल्लिखित राज्य राजमार्गों के उच्चीकरण/अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा [illegible] उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को इस शर्त के साथ निःशुल्क हस्तान्तरण किया जायेगा कि इन मार्गों को निजी विकासकर्ता को हस्तान्तरित किये जाने तक इनका अनुरक्षण पूर्ववत लोक निर्माण विभाग द्वारा ही कराया जाता रहेगा।

[illegible] यह भी कहने का निदेश हुआ है कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सम्बन्धित किसी विभाग का पूर्वानुमोदन वांछित हो, तो नोडल अधिकारी (लोक निर्माण विभाग) द्वारा [illegible] विभाग के माध्यम से अवस्थापना विकास विभाग के मा0 [illegible] को अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

भवदीय,

(इष्टदेव प्रसाद [illegible])
विशेष सचिव।

संख्या-425 ई (1)/23-11-2010-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, अवस्थापना विकास विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख अभियन्ता(विकास एवं विभागाध्यक्ष), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को इस आशय के साथ कि उपरोक्त मार्गों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायें।
3- सदस्य प्रशासन/वित्त, उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, मण्डी भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/4
5- न्याय (रिट) अनुभाग-6/वन अनुभाग-2/लोक निर्माण अनुभाग-1/2/10/[illegible]
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(इष्टदेव प्रसाद [illegible])
विशेष सचिव।